FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

बाबूलाल ..... बनाम ..... बजरंगलाल वगै.....

किस्म मुकदमा ..... प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे. ..... नं. ...01..... सन् ...2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	11.4.22 पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकान उप/[illegible] अधिकारी तौर/[illegible] में [illegible]/मीटिंग में हैं। [illegible] कार्यवाही हो।	
03.08.2022	दिनांक 29.06.2022 को इकजाई पेशी देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक–रूक कर बार–बार आवाज दिलवाई गई। वकुलाय उभय पक्षकारान में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.05 11:42:05 IST
Reason: SelfAttested

01/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर